

एम0जे0सी प्र0 क्रमांक 13/2005

पुनश्च:-

राज्य द्वारा श्री दीवान सिंह गुर्जर एजीपी उप0।

अभियुक्त रामहेत (फौत) का पुत्र एवं विधिक प्रतिनिधि कमलेश स्वयं उपस्थित।

अभियुक्त रामहेत (फौत) का पुत्र एवं विधिक प्रतिनिधि कमलेश ने अर्थदण्ड की राशि रूपए 2,000/- (दो हजार रूपए) रूपए रशीद क्रमांक 19 एवं रशीद बुक क्रमांक 11232 पर जमा की गई। मूल रशीद संबंधित को दिलाई गई।

प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

आगामी तिथि निरस्त हो।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(सतीश कुमार गुप्ता)  
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड